

IMMEDIATE



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(54)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2017/311

जयपुर, दिनांक: 17.04.2017

ज़िला कलेक्टर,
समस्त(राजस्थान)।

विषय :— पट्टा आवंटन अभियान (14 अप्रैल, 2017 से
12 जुलाई, 2017) बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2017 से 12 जुलाई 2017 (90 दिवस) की अवधि में ग्राम पंचायतों में चलाये जा रहे पट्टा/भू-खण्ड आवंटन अभियान के सम्बन्ध में आज दिनांक 17.4.2017 को माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान अनेक ग्राम पंचायतों से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि इस अवधि में आयोजित होने वाले शिविरों में पटवारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा भाग नहीं लिया जा रहा है और ना ही आबादी भूमि का तस्दीकीकरण और पंचायत की आबादी भूमि का सीमाज्ञान किया जा रहा है। यह खेदजनक स्थिति है।

अभियान हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आप राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें। इस अभियान की सतत मोनीटरिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की जा रही है। आपसे पुनः अनुरोध है कि आप यह सुनिश्चित करें कि अभियान के दौरान शिविरों में पटवारी एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार आदि उपस्थित होकर, पंचायती राज अधिकारियों को वांछित सहयोग प्रदान करें।

(सुदर्शन सेठी) 17.4.2017
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:-

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रा० वि० एवं पं० राज, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रा० वि० एवं पं० राज, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान।

↑
उप शासन सचिव(विधि).